

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-फूलपुर

**पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन आज दि० 02.06.21 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह का० वीरेन्द्र कुमार यादव के इब्राहिमपुर चौराहा पर मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर कि सूचना पर मु०अ०सं० 80/2020 धारा 307 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र पन्नालाल निवासी उदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को माहुल मोड़ से समय 08.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**सम्बन्धित मुकदमा**

मु०अ०सं० 80/2020 धारा 307 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त**

राहुल पुत्र पन्ना लाल सा० उदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद सिंह ( चौकी प्रभारी अम्बारी) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. का० वीरेन्द्र कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर**आबकारी टीम व कंधरापुर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध देशी शराब के साथ अन्य उपकरण व नगदी के साथ दो गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध देशी शराब/जहरीली शराब तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी में चलाये जा रहें अभियान के तहत दिनांक- 01.06.2021 को आबकारी निरीक्षक विजय कुमार क्षेत्र-01 मय हमराह आबकारी निरीक्षक सुशील कुमार (भाई क्षेत्र-2) , आबकारी निरीक्षक इन्द्रजीत कुमार (क्षेत्र-3) , आबकारी निरीक्षक रमेश यादव(क्षेत्र-5), आबकारी निरीक्षक रोहित कुमार क्षेत्र-7 आबकारी आरक्षी सुधाकर व प्रभारी व०उ०नि० कैलाश सिंह यादव मय हमराह मय हमराह का० भवानीदीन का० नीरज खरवार का० अमित कुमार , म०का० रेनु यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 02 नफर अभियुक्त 1. देवानन्द S/O स्व० जगपत उम्र 35 वर्ष R/O चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2- कमलेश पुत्र स्व० मोहन उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम भेड़ेरिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के पास से 58 पौव्वे देशी शराब प्रत्येक की धारीता 200 ml अवैध नकली ढक्कन 52 अदद व 4 प्लास्टिककी सफेद बोरी में देशी शराब की बैध 18 पेटी जिसमे 5 पेटियों में 42.8 % v/v व 13 पेटियों में 36% v/v प्रत्येक पेटी में 45 पौव्वे कुल 810 पौव्वे व एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में बरामद धनराशि 15955 रूपया बरामद धनराशि , बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्तगण उपरोक्त के आधार पर मु०अ०सं० 79/2021 धारा 419/420/467/468 भादवि व 60 EX. ACT पंजीकृत कर समय 17.50 बजे घटना स्थल बहद ग्राम आजमपुर देशी शराब की दुकान से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. देवानन्द S/O स्व० जगपत निवासी ग्राम चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. कमलेश पुत्र स्व० मोहन निवासी ग्राम भेड़ेरिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग-****1-** मु०अ०सं० 79/2021 धारा 419/420/467/468 भादवि व 60 EX. ACT, थाना-कंधरापुर, आजमगढ़।**बरामदगी**

- 1- 58 पौव्वे देशी शराब प्रत्येक की धारीता 200 ml अवैध नकली ढक्कन 52 अदद
- 2- 4 प्लास्टिक की सफेद बोरी में देशी शराब की बैध 18 पेटी जिसमे 5 पेटियों में 42.8 % v/v
- 3- 13 पेटियों में 36% v/v प्रत्येक पेटी में 45 पौव्वे कुल 810 पौव्वे
- 4- एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में बरामद धनराशि 15955 रूपया।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. आबकारी निरीक्षक विजय कुमार क्षेत्र-01 2. आबकारी निरीक्षक सुशील कुमार (भाई क्षेत्र-2) 3. आबकारी निरीक्षक इन्द्रजीत कुमार (क्षेत्र-3) 4. आबकारी निरीक्षक रमेश यादव(क्षेत्र-5) 5. आबकारी निरीक्षक रोहित कुमार क्षेत्र-7 6. आबकारी आरक्षी सुधाकर सिंह आजमगढ़।
2. प्रभारी व०उ०नि० कैलाश सिंह यादव मय हमराह का० भवानीदीन, का० नीरज खरवार का० अमित कुमार , म०का० रेनु यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

3. चीता मोबाइल -H.C. अनिल राय, H.C. नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
4. इंगल मोबाइल- H.C. नौशाद अहमद व का0 विकास बाबू पाल थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

**थाना-बिलरियागंज**  
**गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

अभियुक्तगण ( 1) मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहसीन ( 2) अरमान पुत्र नूरआलम ( 3) नईम पुत्र भुवर उर्फ अलीरजा निवासीगण ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय के मु 0अ0सं0 83/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के वांछित अभियुक्तगण है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,गैंगेस्टर से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 02.06.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय.हमराह द्वारा वांछित,ईनामिया,गैंगेस्टर से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु शहाबुद्दीनपुर में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु 0अ0सं0 83/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण नसीरपुर चौराहे पर मौजूद कहीं भागने के फिराक में साधन का इन्तजार कर रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराहीयान के प्रस्थान कर नसीरपुर चौराहे पर पहुँचे कि अभि 0गण उपरोक्त पुलिस बल को देखकर सकपका गये। पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेरकर अभियुक्तगण ( 1) मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहसीन ( 2) अरमान पुत्र नूरआलम ( 3) नईम पुत्र भुवर उर्फ अलीरजा निवासीगण ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को समय 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 83/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण**

1. मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहसीन निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. अरमान पुत्र नूरआलम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. नईम पुत्र भुवर उर्फ अलीरजा निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण**

- 1- थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंहथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 2- हे0का0 रामचन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 3- का0 मण्टु शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 4- का0 संजीव सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 5- का0 धीरज त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 6- म0का0 स्वाती शुक्ला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**थाना-महराजगंज**

**40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब,1 किग्रा यूरिया,250 ग्राम फिटकरी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 01-06-21 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 अखिलेश यादव व का0 रवीन्द्र यादव द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु चेकिंग करते हुए बेकारु चौक कस्बा महराजगंज में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली ग्राम दशराजपट्टी में जत्तन कहार के पोखरे के पास प्रेम कुमार सिंह उर्फ कुल्लू की मंडई में 02 व्यक्ति दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह व आशुतोष सिंह उर्फ आशु पुत्र प्रेम कुमार सिंह उर्फ कुल्लू निवासीगण दशराजपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 20-20 लीटर के जरिकेनों में अवैध अपमिश्रित शराब लेकर बेचने हेतु ग्राहकों का इन्तजार कर रहे हैं। इस सूचना पर उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर एक व्यक्ति दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह उर्फ बब्लु सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह साकिन दशराजपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय 20.40 बजे गिरफ्तार किया गया। मौके ले 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब ,1 किग्रा यूरिया तथा 250 ग्राम फिटकरी बरामद हुआ। फरार अभियुक्त का नाम पता पुछने पर आशुतोष सिंह उर्फ आशु सिंह पुत्र प्रेम कुमार सिंह उर्फ कुल्लू निवासी दशराजपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। बरामद शराब के सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि मैं और आशुतोष सिंह मिलकर यह कारोबार करते हैं। शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए हम लोग शराब में यूरिया और फिटकरी मिला देते हैं जिससे शराब की तीव्रता बढ़ जाती है और साथ

ही साथ विक्री भी बढ जाती है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/21 धारा 272 , 273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 165/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त**

दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह उर्फ बब्लू सिंह S/O वीरेन्द्र सिंह R/O दशराजपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।

#### **आपराधिक इतिहास**

#### **अभि0 दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह उर्फ बब्लू सिंह**

1. मु0अ0सं0- 38/21 धारा 386, 506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0सं0 165/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।

#### **बरामदगी**

02 जरिकेनो मे 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब।

2. एक किलो यूरिया व 250 ग्राम फिटकिरी

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 अखिलेश यादव व का0 रवीन्द्र यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।